न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामा0 अपील सं0 27/2019

कैलाश चंद पुत्र भौरीलाल जाति बैरवा निवासी श्यालावास खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा

......अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील मण्डावर जिला दौसा

.....रेस्पों.

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार तहसील मण्डावर दिनांक 19.6.2019 जो खाता सं. 148 ग्राम गोलाडा का नामान्तरण प्रविष्टि का कम सं0 780 दिनांक 28.5.2019 पर करके नामान्तरण को खारिज किया गया है।

उपस्थित–1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

निर्णय

दिनांक: 30.4.2025

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, मण्डावर जिला दौसा ने दिनांक 28.5.2019 को ग्राम गोलाडा का नामान्तरण सं0 780 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में दलील दी कि तहसीलदार मण्डावर द्वारा पारित आदेश की जानकारी पूर्व में अपीलांट को नहीं थी। तहसीलदार मण्डावर ने अपीलांट को नोटिस दिये बिना व अपीलांट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। इसलिए अपीलांट्स को उक्त निर्णय की पूर्व में जानकारी नहीं थी। उक्त निर्णय की सर्वप्रथम दिनांक 9.12.2019 को पटवारी हल्का से जानकारी हुई, जिस पर नकल हेतु आवेदन करने पर नकल दिनांक 9.12.2019 को प्राप्त हुई। अपील जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट ने 30 दिवस से विलंब से अपील पेश की गई है। अपीलांट को उक्त नामान्तरण की पूर्व से जानकारी थी। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता व अधिवक्ता अपीलांट की दफा 05 के प्रा.पत्र पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।
4. तत्पश्चात मूल अपील पर बहस अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा कि उप जिला कलक्टर बांदीकुई ने वाद सं0 169/2017 में अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19.5.2018 को पारित करके ग्राम गोलाडा में स्थित भूमि खसरा नंबर 1439/1 रकबा 0.65है. खसरा नंबर 1441 रकबा 1.80है. खसरा नंबर 1442 रकबा 0.08है. कुल किता 3 रकबा 2.53है. तकास्मे में अपीलांट को दिया गया। अपीलांट ने उक्त निर्णय व डिकी मूल कुरेजात रिपोर्ट सहित नामान्तरण खोलने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:30:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

प्रस्तुत की गई जिस पर पटवारी हल्का ने नामान्तरण भरकर एवं गिरदावर को जांच हेतु प्रस्तुत किया। गिरदावर ने अपनी जांच रिपोर्ट में पटवारी के अंकन को सही बताया। किन्तु तहसीलदार मण्डावर ने अपीलांट को सुनवाई व सबूत का असवर दिये बिना व बिना नोटिस दिये दिनांक 19.6.2019 को यह लिखकर कि निर्णय में वादी में वादी प्रतिवादी का उल्लेख नहीं हामें वादी प्रतिवादी का उल्लेख नहीं होने से नामान्तरण अस्वीकृत किया जाता है लिखकर और निर्णय पारित कर दिया। निर्णय अधीनस्थ तहसीलदार मण्डावर विधि विरूद्ध, प्रकिया नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट ने उप जिला कलक्टर बांदीकुई का निर्णय व डिक्री तथा कुरेजात सभी की नकलें प्रस्तुत की थी, जिनके आधार पर ही पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तरण भरा गया था और गिरदावर ने जांच की थी किन्तु तहसीलदार मण्डावर ने मनमर्जी से यह लिखकर कि निर्णय में वादी प्रतिवादी का उल्लेख नहीं है, कानूनी गलती की है, जो निरस्त योग्य है। निर्णय में वादी प्रतिवादी का नाम अंकित था, केरेजात रिपोर्ट में भी वादी प्रतिवादी का नाम अंकित था और कुरेजात रिपोर्ट में स्पष्ट दिया गया खसरा नंबर एवं रकबा अंकित था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानून का उल्लंघन करके उक्त निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है कि निर्णय में वादी व प्रतिवादी का उल्लेख नहीं है जो अपने पद का दुरूपयोग करके लिखा है। जब निर्णय, डिक्री व कुरेजात में वादी प्रतिवादी का नाम अंकित नहीं था तो पटवारी हल्का के द्वारा किस आधार पर नामान्तरण भरा गया एवं गिरदावर के द्वारा किस आधार पर जांच की गई, जिससे सिद्ध है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णय, डिक्री व कुरेजात की नकलें मौजूद थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जान बूझ कर हैरान व परेशान करने के लिए उक्त कानून विरोधी निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मण्डावर के निर्णय दिनांक 19.6.2019 को खारिज फरमाया जाकर तहसीलदार को आदेश फरमाया जावे कि उक्त नामान्तरण विधि अनुसार स्वीकार करें।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार मण्डावर के द्वारा पारित नामान्तरण जो कि नामान्तरण सं0 780 पर दिनांक 19.6.2019 को पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि के प्रावधानों के तहत निर्णय में वादी प्रतिवादीगण का उल्लेख नहीं होने से नामान्तरण खारिज किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण्ण की बहस पर मनन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलांट ने तहसीलदार मण्डावर द्वारा पारित निर्णय नामान्तरण सं0 780 पर दिनांक 19.6.2019 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। पटवारी हल्का के द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के वाद सं0 169/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.5.2018 की पालना में नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जांच व उचित आदेशार्थ पेश किया गया जिसकी जांच भू अभिलेख निरीक्षक गोलाडा के द्वारा जांच की गई। तत्पश्चात तहसीलदार [illegible] के द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण को निर्णय में वादी व प्रतिवादीगण का उल्लेख नहीं [illegible] नामान्तरण खारिज किया गया है जिस अभिमत से हम सहमत नहीं हैं। [illegible] कोई कार्यवाही नहीं की जाकर प्रकरण तहसीलदार मण्डावर को रिमाण्ड किये जाने योग्य समझते है।

8. उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.6.2019 जो नामान्तरण सं0 780 पर पारित किया गया है, को निरस्त किया जाकर तहसीलदार मंडावर को इस आशय से

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:30:35 IST
Reason: SelfAttested

रिमांड किया जाता है कि अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्ति को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष दिनांक 16.5.2025 को अधीनस्थ तहसीलदार मण्डावर के न्यायालय में उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 अप्रेल, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:30:35 IST
Reason: SelfAttested